

डाकघर अधिनियम 2023

प्रलिस के लयि:

[डाकघर अधिनियम, 1898](#), [सारवजनक वयवस्था](#), [आपातकाल](#), [सारवजनक सुरक्षा](#), [भू-राजसव](#), [वाक और अभवयकतकी सवतंतरता](#), [नजिता का अधकार](#) ।

मेन्स के लयि:

डाकघर अधिनियम, 2023 का महत्त्व और इसकी कमयिौ ।

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चरचा में कयौं?

हाल ही में [भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898](#) को नरिसत करते हुए [डाकघर अधिनियम 2023](#) लागू हुआ ।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य वशेषताएँ कया हैं?

- **वसतुओं का अवरोधन और नरिोध:**
 - **धारा 9:** यह प्रावधान केंद्र को कसिी भी अधकारी को राज्य सुरक्षा, वदशी संबध आदि से संबधति कारणों से कसिी भी डाक वसतु को रोकने या रोकने के लयि अधकृत करने की अनुमतदता है ।
 - जनि वसतुओं में प्रतबिधति सामान होने का संदेह हो या जनि पर सीमा शुलक लगने का संदेह हो, उन्हें सीमा शुलक प्राधकारयिौ को साँपा जा सकता है ।
- **दायतव से छूट:**
 - **धारा 10:** डाकघर और उसके अधकारयिौ को सेवाएँ प्रदान करने के दौरान हानि, गलत वतरण, देरी या कषतके लयि देयता से छूट दी गई है, सविय जैसा कनरिधारति कयिा गया हो ।
- **दंड और अपराधों का उनमूलन:** नया अधिनियम 1898 के अधिनियम में उल्लखिति सभी दंड और अपराधों को समाप्त कर देता है, जनिमें डाक अधकारयिौ द्वारा कदाचार, धोखाधडी तथा चोरी से संबधति दंड एवं अपराध भी शामिल हैं ।
 - इसमें भुगतान न कयिा गए सेवा शुलक को भू-राजसव के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान शामिल है ।
- **धारा 7 के अंतरगत जुरमाना:** प्रत्येक वयकत जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाता है, उसे ऐसी सेवा के संबध में शुलक का भुगतान करना होगा ।
- **केंद्र की वशिषिटता को हटाना:** नया अधिनियम पत्रों को पहुँचाने के लयि केंद्र के वशिषाधकार को हटा देता है, यह वशिषाधकार 1980 के दशक में नजिी कूरयिर सेवाओं के उदय के कारण प्रभावी रूप से अपरचलति हो गया था ।
 - यह अधिनियम अब स्पष्ट रूप से नजिी कूरयिर सेवाओं को अपने वनियामक दायरे में लाता है तथा सरकार की वशिषिटता की हानिको मान्यता देता है और साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं, बलककिसिी भी डाक सामगरी को बंद एवं रोकने के दायरे का वसितार करता है ।
- **डाक सेवा महानदिशक:** नया अधिनियम डाक सेवा के महानदिशक को वभिन्न अतरिकित सेवाएँ प्रदान करने के लयि आवश्यक गतवधिथिौ से संबधति वनियम बनाने के लयि अधकृत करता है, जैसा ककेंद्र सरकार द्वारा नरिधारति कयिा जा सकता है, साथ ही इन सेवाओं हेतु शुलक नरिधारति करने के लयि भी अधकृत करता है ।
 - यह वधियक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली कसिी भी सेवा के लयि नरिधारति शुलक में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है ।
- **पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड:** अधिनियम की धारा 5(1) में कहा गया है ककि "केंद्र सरकार वसतुओं पर पते, पता पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड के उपयोग के लयि मानक नरिधारति कर सकती है" ।
 - यह प्रावधान एक दूरदर्शी अवधारणा है और साथ ही कसिी परसिर की सटीक पहचान के लयि भौगोलक नरिदेशांक के आधार पर भौतिक पते को डजिटल कोड से परविरतति कर देगा ।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

- यह भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से **1 जुलाई 1898** को लागू हुआ।
- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली **डाक सेवाओं के वनियमन का प्रावधान** करता है।
- यह केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है।

डाकघर अधिनियम 2023 में क्या मुद्दे हैं?

- **डाक सेवाओं का वनियमन कूरियर सेवाओं से भिन्नताएँ:** **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019** भारतीय डाक द्वारा सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह नज्जि कूरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम, 2023 जो वर्ष **1898 के अधिनियम को प्रतस्थापित** करने का प्रयास कर रहा है, वह इन प्रावधानों को बनाए रखता है।
- **प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव से मूल अधिकारों का उल्लंघन:** वधियक में डाक वस्तुओं के अंतरोधन के वरिद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय नरिदष्टि नहीं किया गया है। इससे **नजिता के अधिकार** और **वाक् एवं अभवियकृत् सिवातंत्र्य** के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
 - दूरसंचार के अंतरोधन के मामले में **पुल्लि (PUL) 1996** मामले में **सर्वोच्च न्यायालय** ने अभनिरिधारति किया कि अंतरोधन की शकृत्ता को वनियमति करने के लयि एक उचति एवं सम्यक प्रक्रयि मौजूद होनी चाहयि।
 - अनूयथा **अनुच्छेद 19(1)(a)** (वाक् एवं अभवियकृत् सिवातंत्र्य) और **अनुच्छेद 21** (प्राण एवं दैहकि स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में नजिता का अधिकार) के तहत नागरकिों के अधिकारों की रकृषा करना संभव नहीं होगा।
- **'आपातकाल' का आधार उचति प्रतबिंधों से परे है:** 1898 अधिनियम की ही तरह, वर्तमान अधिनियम में आपातकाल को स्पष्ट रूप से परभाषति नहीं किया गया है।
- **सेवाओं में चूक की दशा में दायतिव से छूट:** अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के वपिरीत है, जसिमैरेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से माल की हानि, कषर्ता, डलीवरी न होने और करिया वापसी जैसी शकियातों का समाधान किया जाता है।
- **सभी अपराधों और दंडों को हटाना:** वर्ष 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडनीय था। इसके वपिरीत, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के वरिद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यकृतयिों की नजिता के अधिकार पर प्रतकिल्ल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- **सुदृढ़ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल किया जाना:** इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषति वस्तुओं के अवरोधन के लयि स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू कयि जाने की आवश्यकता है।
 - इसमें वाक् एवं अभवियकृत् की स्वतंत्रता और व्यकृतयिों की नजिता के अधिकार की रकृषा के लयि **नरिीकृषण तंत्र, न्यायकि वारंट** तथा संवैधानकि सिद्विधों का पालन शामिल होना चाहयि।
- **अवरोधन के आधार को परभाषति करना:** अवरोधन के आधारों को **परषिकृत् और स्पष्ट** रूप से परभाषति करें, विशेष रूप से 'आपातकाल' शब्द को, ताकि सुनशिचति हो कि यह संवधान के तहत युक्तयिुक्त नरिबंधों के साथ संरेखति हो।
 - **पुल्लि (PUL) 1996** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि जब **गोपनीय दस्तावेज़ बैंक को दयि जाते हैं या व्यकृत्गित सामान डाकघर को दयि जाते हैं तो नजिता का अधिकार** बरकरार रहता है तथा कसिी भी तलाशी एवं ज़बती के लयि लखिति कारणों की आवश्यकता होती है।
- **संतुलति दायतिव ढाँचा:** डाकघर की स्वतंत्रता और कारयकुशलता को खतरे में डाले बनिा उत्तरदायतिव के लयि स्पष्ट नयिम नरिधारति करके उसकी जवाबदेही सुनशिचति करना।
 - सकृषम प्राधिकारी को 'सदभावना' खंड के बनिा अवरोधन शकृत्तयिों के कसिी भी जानबूझकर दुरुपयोग के लयि जवाबदेह ठहराया जाना चाहयि।
- **अनधकृत् उदघाटन को संबोधति करना:** उपभोक्ता गोपनीयता की रकृषा के लयि डाक को अनधकृत् रूप से खोलने पर डाक अधिकारयिों को दंडति करने तथा कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी के लयि व्यकृतयिों को उत्तरदायी ठहराने के लयि कानून बनाना।

दृष्टिमेन्स प्रश्न:

प्रश्न. डाकघर अधिनियम, 2023 के कारयान्वयन के संदरभ में गोपनीयता की चुनौतयिों पर चर्चा कीजयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के उच्चतम न्यायालय ने नजिता के अधिकार को भारत के संविधान के नमिनलखिति में से कसि अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? (2024)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 16
- (c) अनुच्छेद 19
- (d) अनुच्छेद 21

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/post-office-act-2023>

